उत्तराखण्ड शासन

ईमेल आई0डी0– info@ukmc.in
दूरभाष / फैक्स नं0 0135–2781201

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, श हीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

पत्रांक 800 .. / उअसंआ0 / 2019–20 दिनांक **18,अक्टूबर,2019**

डॉ0 आर0के0जैन, मा0 अध्यक्ष,(मंत्री स्तर) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2019 को 11.00 बजे दिन अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून में आयोग की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त–

बैठक की उपस्थिति–

1–डॉ0 आर0के0जैन, अध्यक्ष, (मंत्री स्तर) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
2– श्री मज़हर नईम नवाब, उपाध्यक्ष, (राज्य मंत्री स्तर)उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
3– श्रीमती सीमा जावेद, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
4– श्री गुलाम मुस्तफा, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
5– श्री अजगर अली, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
6– श्री राव काले खॉ, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
7– श्री सुरेश चन्द जोशी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
8– श्री रईस अहमद,उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
9– श्री जे0एस0रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
10–श्री एस0एस0रावत, महाप्रबन्धक वक्फ एवं वित्त विकास निगम
11–श्री नसरूद्दीन(निरीक्षक) मदरसा बोर्ड देहरादून।
12–श्री वाजिद हुसैन, वक्फ निरीक्षक, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड देहरादून।
13–श्री शाहिद, कनिष्ठ लिपिक राज्य हज समिति उत्तराखण्ड।

बैठक में सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों का परिचय करने उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

1– निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।

1– दिनांक 29.12.2018 व दिनांक 16.09.2019 की कार्यवाही के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर निराकरण न होने से खेद व्यक्त किया गया। इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश किया जाता है, जिन विभागों के पास गत बैठकों में दिये गये निर्देशों की कार्यवाही अवशेष है यथाशीघ्र उसे पूर्ण करते हुए कृत कार्यवाही से एक माह के अन्दर कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

क्रमश–2

2– छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में निदेशक/उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि शिक्षा विभाग की ओर से केन्द्र एवं राज्य सरकार की छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में कतिपय शिक्षण संस्थाओं द्वारा नोडल अधिकारी नामित नहीं किया गया है, जिससे कि छात्रवृत्ति की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पा रही है, इस सम्बन्ध में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को निर्देश किया जाता है कि समस्त शिक्षण संस्थाओं में नोडल अधिकारी तैनाती किये जाने हेतु अपने स्तर से मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश करते हुए कृत कार्यवाही से 15 दिन के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करें, प्रकरण महत्तवपूर्ण एवं समयबद्ध है।

(कार्यवाही–महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून,

3– बैठक में मा0 आयेाग के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि अतिन्यून है, जो कि प्राईमरी स्थान पर प्रतिमाह रू0 50/– व जूनियर स्तर पर रू0 80/– तथा मैट्रिक स्तर पर 120/– प्रतिमाह अंकित है, तथा छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी से गरीबी रेखा से दोगुनी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। इस सम्बन्ध में गरीबी रेखा से दोगुनी आमदनी का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी प्राप्त करना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति आवेदन कम प्राप्त हो रहे है, तथा राज्यांश छात्रवृत्ति की राशि प्राथमिक स्तर पर रू0 200/–, जूनियर स्तर पर रू0 300/– व मैट्रिक स्तर पर रू0 700/– किया जाय। इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण/ निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को निर्देशित किया जाता है, राजान्श छात्रवृत्ति के मापदण्ड भी भारत सरकार की छात्रवृत्ति की भांति की जाये, ताकि अधिक से अधिक अल्पसंख्यक के पात्र छात्र–छात्र योजना से लाभान्वित हो सके,

(कार्यवाही–सचिव/निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड)

4. **अल्पसंख्यक विभाग निधि–** अल्पसंख्यक विकास निधि के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस निधि से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में निर्माण कार्यो में व्यय की जाती है, जो कि नियमावली के अनुसार 4.00 करोड़ रू0 प्रतिवर्ष बजट प्राविधानित की व्यवस्था है, किन्तु इस राशि को 4.00 करोड़ से 3.00 करोड़ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत धनराशि की कमी होने से अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे है। इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून से अपेक्षा है कि पूर्व की भांति रू0 4.00 करोड़ का बजट प्राविधानित किया जाय।

(कार्यवाही–सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन)

5–अल्पसंख्यक समुदाय के मैधावी छात्राओं की शिक्षा एवं विशेष अनुदान योजना स्वीकृत है, जिसमें वर्तमान में लगभग 1300 आवेदन स्वीकृत है, भुगतान की कार्यवाही स्वीकृत है, जिसमें कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 100लाख का बजट प्राविधानित किया गया, इसके अन्तर्गत सभी छात्रायें लाभान्वित नहीं हो पायेंगी। इस सम्बन्ध में बजट को रू0 1.00 करोड़ से रू0 2.00 करोड़ प्राविधानित होने पर सभी छात्रायें

क्रमश–3

लाभान्वित हो सकेंगी। इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन से अपेक्षा है कि बजट को रू0 1.00 करोड़ से रू0 2.00 करोड़ प्राविधानित किया जाय।

(कार्यवाही–सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन)

6– कब्रिस्तान चाहरदीवारी के सम्बन्ध में चर्चा हुई। जिसमें अवगत कराया गया कि प्रदेश में कतिपय कब्रिस्तानों में चाहरदीवारी न होने से अतिक्रमण की सम्भावना बनी है, तथा कतिपय में अतिक्रमण है, इस सम्बन्ध में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा अवगत कराया गया कि कब्रिस्तान चाहरदीवारी त्रिवार्षिक योजना है, जिसका समय पूर्ण होने से कैबिनेट स्तर से स्वीकृत किया जाना है। इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन से अपेक्षा है कि कब्रिस्तान चाहरदीवारी योजना को उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट से स्वीकृत कराते हुए योजना को कियान्वयन करने की कार्यवाही करें।

(कार्यवाही–सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन)

2– उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

1– बैठक में अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में 225लाभार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष माह सितम्बर, 2019 तक 13 लाभार्थियों को ऋण दिया गया। शेष जनपदों में कार्य गतिमान है। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित समय पर योजना का लक्ष्य शत–प्रतिशत करना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम)

2– बैठक में मुख्यमंत्री हुनर योजना के सम्बन्ध में चर्चा हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019–20 में 59 संस्थाओं में 2730 लाभार्थियों का विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। जिसमें रू0 244.725 लाख व्यय होगा। चयन की कार्यवाही वर्तमान जनपदस्तर पर गतिमान हैं। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित समय पर योजना का लक्ष्य शत–प्रतिशत करना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम)

3– बैठक में ट्रम लोन योजना के सम्बन्ध में चर्चा हुई, वित्तीय वर्ष 2019–20 में 76 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। जिसमें राष्ट्रीय निगम

क्रमश–4

से धनराशि प्राप्त होने पर लक्ष्य पूर्ण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन से अपेक्षा है कि राष्ट्रीय निगम से धनराशि की यथासमय मांग की धनराशि प्राप्त करने हेतु अपने स्तर से पत्र जारी करने का कष्ट करें।

(कार्यवाही– सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन)

4–बैठक में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के ढ़ाचे की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है, जनपदों में निगम का कोई भी कर्मचारी न होने से योजनाओं का संचालन समय पर नहीं हो पा रहा है, और विशेष कर वसूली कार्य का प्रतिशत दिन पर दिन घटता जा रहा है। वसूली की धनराशि से ही निगम की योजना का संचालन किया जाता है। पदों की स्वीकृति हेतु प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है। इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण से अपेक्षा की जाती है कि यथाशीघ्र निगम के ढ़ाचे की स्वीकृति प्रदान करायी जाय। साथ ही प्रबन्धक निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम को भी निर्देशित किया जाता है कि अपना व्यक्तिगत प्रयास करते हुए पदों की स्वीकृति प्रदान कराने की कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन)

3– उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कार्यो के सम्बन्ध में चर्चा हुई, बैठक में अवगत कराया गया कि वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यो का सम्पादन डॉ0 अहमद इकबाल अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सौंपा गया है, किन्तु उनके पास शासन स्तर से कई विभागों का कार्यवाही सौंपा गया है। उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में आठ माह पूर्व कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् डॉ0 अहमद इकबाल, वक्फ बोर्ड कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाये, शासन स्तर से ही वक्फ बोर्ड के कार्यो का संचालन करते है, वक्फ बोर्ड में नियमित मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होना आवश्यक है, साथ ही नियमित मुख्यकार्यपालक अधिकारी की तैनाती तक डॉ0 अहमद इकबाल के स्थान पर अन्य किसी अधिकारी को उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का कार्यपालक अधिकारी का चार्ज हस्तगत किया जायं। इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण से अपेक्षा है कि वक्फ बोर्ड में यथाशीघ्र अन्य अधिकारी को मुख्य कार्यपालक अधिकारी का चार्ज हस्तगत किया जाये। इसके पश्चात् वक्फ बोर्ड के कार्यो की समीक्षा बैठक आगामी एक माह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही– सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन,मुख्य कार्यपालक अधिकारी वक्फ बोर्ड उत्तराखण्ड)

क्रमश–5

4– उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्

बैठक में मदरसा बोर्ड के कार्यो की समीक्षा हुई। प्रदेश में कुल 297 मदरसे पंजीकृत है, शेष मदरसों की पंजीकृण की कार्यवाही गतिमान है। इस सम्बन्ध में निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् को निर्देशित किया जाता है कि मदरसों का शेष पंजीकृण कार्य यथासमय पूर्ण किया जाय।, निदेशक, मदरसा बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि सभी मदरसों में एन0सी0ई0आर0टी के अनुरूप पठन–पाठन कार्य सुचारू है। निदेशक, मदरसा शिक्षा परिषद् को निर्देशित किया जाता है कि संचालित मदरसों में निरीक्षक, मदरसा बोर्ड से अनिवार्य रूप से निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें। पंजीकृत सभी मदरसों का निरीक्षण का कार्य तीन माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय।

(कार्यवाही– निदेशक, मदरसा शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड

5– राज्य हज समिति, पिरान कलियर

हज समिति, पिरान कलियर के अधिशासी अधिकारी के उपस्थित न होने पर मा0 आयोग द्वारा खेद व्यक्त किया गया। उपस्थित प्रतिनिधि के द्वारा हज समिति से सम्बन्धित पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। वित्तीय वर्ष 2018 व 19 में हज यात्रियों का विवरण उपलब्ध कराने के साथ ही यदि हज समिति में अन्य कोई योजना संचालित हो, उसका भी विवरण उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी, राज्य हज समिति)

6– आगामी 18, दिसम्बर, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के आयोजन के सम्बन्ध में

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 18,दिसम्बर, 2019 को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाना है, जिसे एम0एन0घोष आर्डिटोरियम में प्रस्तावित किया गया है। इस दिवस पर मुख्यतः रूप से निगम के ऋण योजना से एम0बी0बी0एस0 करने वाले कम से कम पॉच छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया जायेगा। इसके साथ ही कम से कम दस अल्पसंख्यक समुदाय के विशिष्ट कार्य करने एंव ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को सम्माानित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के द्वारा एम0बी0बी0एस0 के छात्र–छात्राओं की सूची तथा अन्य दस अल्पसंख्यक समुदाय के विशिष्ट एंव ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की सूची निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मदरसा बोर्ड के स्तर से चिहिन्त कर उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही– निदेशक, मदरसा शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड एवं महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्यांण तथा वक्फ विकास निगम)

7–आगामी 18, दिसम्बर, 2019 को पूर्व की भांति प्रदेश के समस्त थानों, मदरसों व अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में आयोजन किया जायेगा, जिसमें जिला स्तर के

क्रमश–6

थानों में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, तहसील स्तर के थानों में उपजिलाधिकारी/ पुलिस क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न किया जाना अनिवार्य होगा। शेष थानों में सम्बन्धित थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी। थानों में पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, कालेज के छात्र–छात्रायें, अल्पंसख्यक वर्ग के सभी प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जाना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक आयेाग को निर्देशित किया जाता है कि समी सम्बन्धितों को समय पर पत्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– सचिव, अल्पसंख्यक आयेाग)

8–आगामी 18, दिसम्बर, 2019 के सम्बन्ध में जलपान, भोजन आदि की व्यवस्था हेतु इन्द्रा अम्मा केंटीन से किया जाय। इन्द्रा अमा केन्टीन शासन स्तर पर पैनल में है, जिसे निवेदिता एंव कोटेशन के आधार पर चयन किया जाना आवश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक आयेाग अपने स्तर से इन्द्रा अम्मा केन्टीन से सम्वयक स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– सचिव, अल्पसंख्यक आयेाग देहरादून।)

अन्य बिन्दुः–

1– बैठक में श्री मज़हर नईम नवाब, मा0 उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के साथ हर तीन माह में निदेशालय स्तर पर समीक्षा बैठक करना आवश्यक होगा, ताकि येाजनाओं की गुणवत्ता व प्रगति मा0 आयेाग को अवगत किया जा सके। इस सम्बन्ध में निदेशक, अल्पंसख्यक कल्याण को निर्देशित किया जाता है कि जिन जनपदों में अल्पसंख्यकों की योजनायें संचालित है, उन जिलों के जिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व कार्यदायी संस्था के साथ नवम्बर, 2019 प्रथम् सप्ताह में एक बैठक मा0 आयेाग के साथ आवश्यक रखी जाय, ताकि निर्माण कार्यो की समीक्षा भी की जा सके।

(कार्यवाही– निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड।

2– बैठक में श्री मज़हर नईम नवाब, मा0 उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न सम्पत्तियों में अतिक्रमण एंव अन्य अनियमितायें की शिकायते मा0 आयेाग में प्राप्त हो रही है, इस सम्बन्ध में वक्फ बोर्ड का कोई नियंत्रण नहीं है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी वक्फ बोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिनस्थ वक्फ निरीक्षकों से व्यापक निरीक्षण कराते हुए अवैध अतिक्रमण व अनियमितायें के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यावाही कराते हुए एक माह अन्दर मा0 आयेाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यपालक अधकारी,उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड)

क्रमश–7

अतः में बैठक में अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरः अनुपा कराये जाने की अपेक्षा के साथ सभी प्रतिभागी गणों का सधन्यवाद ज्ञापित करते बैठक समाप्त की गयी।

ह0/–
डॉ0 आर0के0जैन
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

पत्रांक809/ उ0अ0स0/बैठक–कार्यवृत्त/2019–20 दिनांक 18,अक्टूबर 2019

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– निजी सचिव, मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित
3– सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6– बैठक में उपस्थित समस्त विभागीय अधिकारीगण एवं अन्य प्रतिभागी।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एस0रावत)
सचिव
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।